



राश्ट्रीय शिक्षा नीति एवं व्यवसायिक शिक्षा

डॉ मोहम्मद उस्मान
एसोसिएट प्रोफेसर
किसान पीजीओ कॉलेज, बहराइच

- राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- समवर्ती सूची
- राश्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
- वै"वीकरण
- सकल नामांकन दर
- NPE 2020

समय के अनुसार शिक्षा के तरीकों और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन आवश्यक होते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले 34 सालों से चली आ रही शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दे दी है। बदलते विवरण और वैकरण के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए ऐसे परिवर्तनों और सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। शिक्षा नीति देवी और समाज का आने वाला कल कैसा होगया ये निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। यह नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी प्रकार सुधारों पर ध्यान आकर्षित करती है। राश्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उच्च शिक्षा से सम्बंधित अनेक परिवर्तनों और सुधारों को सुझाया गया है। अब महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें इसे लागू कैसे करती है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विशय है अतः राश्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों से ऐसा प्रतीत अवश्य हो रहा है कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकेगा और सही मायनों में शिक्षा के क्षेत्र में भारत एक नया मुकाम हासिल करेगा। इसी शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलावों को इस लेख में इंगित किया गया है। कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि छात्रों को अपने विशय मात्र के अलावा उनके आस-पास के मुद्दों, जरूरतों की कोई जानकारी नहीं है ऐसे में सरकार का सुझाव ऐसे संस्थान बनाना है जो अन्ततः अनुप्रासनात्मक होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक,

भावनात्मक, भारीरिक क्षमताओं को विकसित किया जाना है। व्यक्ति के समग्र विकास के लिए कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्नापाठी पर जोर दिया गया है। छात्रों के अपने स्थानीय निकायों, कलाकारों, भागीदारियों और प्रश्नापाठीकों के साथ अपने या किसी दूसरे प्रश्नापाठी संस्थान में प्रश्नापाठी के रूप में कार्य करने और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें रोजगार में भी फायदा मिलेगा।

यदि उच्च प्रश्नापाठी के आंकड़ों को देखें तो आज देरी का बड़ा तबका कई कारणों से इससे वंचित है। उच्च प्रश्नापाठी को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हर जिले या उसके आसपास कम से कम एक उच्च प्रश्नापाठी संस्थान बनाये जाने का सुझाव दिया गया है ताकि सकल नामांकन दर जो कि 2018 में 26.30 प्रति दर थी उसे 2035 तक 50 प्रति दर तक बढ़ाया जा सके। उच्च प्रश्नापाठी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कई आधारभूत बदलाव किये गये हैं। अभी तक की व्यवस्था में छात्र यदि किसी कारणवादी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देता है तो उसे किसी प्रकार की डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते हैं। राष्ट्रीय प्रश्नापाठी नीति 2020 में इसके लिए अनेक सुझाव दिये गए हैं। यदि कोई छात्र एक वर्ष की पढ़ाई के बाद स्नातक छोड़ना चाहे तो उसे डिप्लोमा और तीन वर्ष पूरे करने पर स्नातक की डिग्री दी जायेगी। इस प्रकार की निकास व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा ऐसे छात्रों को होगा जो व्यावसायिक प्रश्नापाठी, तकनीकी प्रश्नापाठी एवं विदेशी भाशाओं से जुड़े हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में कई प्रकार के रोजगार सार्टीफिकेट या डिप्लोमा स्तर के प्रमाण पत्रों से मिल जाता है। यहाँ तक एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि जो छात्र चार साल की स्नातक करना चाहते हैं वे स्नातकोत्तर एक साल में ही कर पायेंगे।

इस नीति में M.Phil को हटाया गया है। M.Phil की अवधि किसी विश्वविद्यालय में 2 वर्ष है तो किसी में एक वर्ष। ऐसे में ये कहा जाता रहा है कि इतने कम समय में अच्छे भागीदार की गुजाइदी कम ही होती है। इसके उलट कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इससे भागीदार पर ही असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि चार साल की स्नातक का बी०१० भागीदार के साथ दिये जाने की बात कही गयी है। अतः स्पष्ट है कि ऐसे छात्रों की भागीदार कार्य करना होगा। अभी तक यह कार्य स्नातकोत्तर के बाद किये जाते थे। यद्यपि इस पर और अधिक स्पष्टता इसके पाठ्यक्रम बनने एवं लागू होने पर ही आयेगी।

छात्रों के बीच संवाद एवं रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के साहित्यिक, सांस्कृतिक समूह एवं विद्यालय क्लब बनाये जायेंगे। इसमें प्राक्षकों की भूमिका मार्गदर्शकी की रहेगी। मेरा मानना है कि इस प्रकार के समूह छात्रों के बीच सहयोग, वाद—संवाद की भारतीय परंपरा को तो आगे बढ़ायेंगे ही साथ में ऐसे छात्र जो अपने विचार को बड़े मंचों पर या अधिक लोगों के सामने बोलने में असहज महसूस करते हैं उनके भीतर अपनी बात को तथ्यपरक तरीके से समझाने और कहने का आत्मविद्यालय भी पैदा करेगा।

ऐसे छात्र जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्राक्षण संस्थानों को पर्याप्त धनराशि दी जाने की वकालत भी इस नीति में की गयी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक आर्थिक मदद प्रदान की जा सके इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए निजी उच्च प्राक्षण संस्थानों को भी छात्रवृत्ति देने को कहा गया है। हालांकि इसे लागू कर पाना कितना आसान होगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सरकार की ओर से इस क्षेत्र में उठाये गये कदम सराहनीय है। चूंकि इन वर्गों के विद्यार्थियों के नामांकन में भारी गिरावट देखने को मिलती है।

प्राक्षण और भांध को विद्यालय बनायें जाने की चर्चा हमें आ रही है। अब पी-एचडी0 के दौरान छात्रों को ऐसे विशयों के क्रेडिट कोर्स करने होंगे जो उन्हें भौक्षणिक गतिविधियों में परिपक्व बनायें। इन छात्रों को प्राक्षक सहायक के रूप में भी पढ़ाना होगा ताकि ये बेहतरीन प्राक्षक बन सके। भांध और अनुसंधान के महत्व को समझते हुए सरकार राष्ट्रीय भांध संस्थान बनायेगी ताकि भांधार्थियों को आवश्यक आर्थिक सहायता मिल सके। जो विद्यालय अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें विदेशी में अपनी भाषा खोलने की अनुमति दी जायेगी। विद्यालय की सौ उच्च स्तरीय प्राक्षण संस्थाओं को भारत में अपनी भाषा खोलने की इजाजत भी मिलेगी। हालांकि इनके संचालन के तरीके क्या होंगे ये तो विस्तृत नियमों के आने के बाद ही साफ हो पायेगा। विदेशी विद्यालयों में नियमानुसार जो छात्र क्रेडिट पूरे करेंगे उनके ये क्रेडिट भारतीय विद्यालयों में मान्य होंगे।

विविद्यालय अनुदान आयोग की जगह भारत का उच्च प्रशिक्षा आयोग बनेगा। इनके अंतर्गत अनेकों विभाग होंगे जैसे राश्ट्रीय उच्चतर प्रशिक्षा नियामक परिशद सभी उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं (कानून एंव मेडिकल को छोड़कर) के लिए नियामक संस्था होगी। साथ ही पारदर्शिता बनायें रखने के लिए संस्थाओं को अपनी जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी होगी। सभी संस्थाएं विनियमन (NHERC) प्रत्यापन (NAC) निधिकरण (HRGC) और अकादमिक मानक सेटिंग (GEC) पारदर्शिता से काम कर सके इसके लिए तकनीकों के माध्यम से कामकाज को बढ़ावा दिये जाने पर भी जोर दिया गया है।

उच्च प्रशिक्षा में नामांकन अनुपात भारत में आज तक बहुत कम है ऐसे में प्रशिक्षा का निजीकरण बेहद नुकसानदायी होगा। अतः सरकार ने इस दिन में उचित सुझाव दिये हैं। हालांकि ये किसी प्रकार काम करेगी ये तो नीति के व्यावहारिक तरीके से लागू होने के बाद ही पता चलेगा। पिछली प्रशिक्षा नीतियों में भी प्रशिक्षा पर अधिक खर्च की सिफारिशों के बावजूद अभी तक प्रशिक्षा पर भारत में विकसित देशों की तुलना में काफी कम खर्च किया जाता रहा है जोकि सकल घरेलू उत्पाद के 44 प्रतिशत के लगभग है इस राश्ट्रीय प्रशिक्षा नीति में इसे 6 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है। सरकार इस ओर सकरात्मक दृष्टिकोण भी दिखा रही है। प्रशिक्षा के क्षेत्र में यदि प्रस्तावित 6 प्रतिशत को खर्च किया जाता है तो भारत की प्रशिक्षा के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम होगा लेकिन प्रशिक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को यह भी ध्यान रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ये नीति चरणबद्ध तरीके से समय पर चालू हों।

एक आधुनिक प्रशिक्षक का कार्य जंगलों को काटना नहीं बल्कि रेगिस्तान को सींचना है।
सी०एस० लेविस

आकड़े जानकारी नहीं है, जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझ नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है।
विलफोर्ड स्टील

हिंदी:

1. गैंड, डी.एन. तथा भार्मा, आर.पी. “”शिक्षिक एवं माध्यमिक प्रशालय व्यवस्था राम प्रसाद का विकास एवं समस्याएं”, रस्तोगी पब्लिकेशन, वाजी रोड, मेरठ
2. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन (1986), मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली—1996
3. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi_0.pdf
4. Agarwal,P.(2007).Higher education in India: Growth, concerns and change agenda. Higher Education Quarterly,61(2), 197-207.
5. Altbach, P.G. (2009), One-third of the globe:The future of higher education in china and India. Prospects,39(1),11.

